महत्वपूर्ण

फ़ाइल संख्या- ई- 21014-2/2019-रा.भा.

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली- 110001

दिनांक- 10 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय- डाक विभाग, संचार मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने से जुड़ी नकद प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार के सभी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 दिसम्बर, 1988 को राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/ 200562/88-रा.भा. (क-2) के अंतर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने कार्यालयों में प्रति वर्ष एक ऐसे अधिकारी को भी पुरस्कार के लिए चुने जो वर्ष में सबसे अधिक हिन्दी में डिक्टेशन दे। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि संभव हो तो हिन्दी भाषी और हिंदीतर अधिकारियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग, संचार मंत्रालय के समस्त अधिकारी वर्ग के लिए हिन्दी में डिक्टेशन देने से जुड़ी नकद प्रोत्साहन योजना पिछले वर्ष 2019-2020 (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) में लागू की गई थी। इसी क्रम में इस नकद पुरस्कार योजना को वर्ष 2020-2021 अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के लिए लागू की जा सकती है। इस योजना के लिए प्रमुख दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं-

1. डाक विभाग के ऐसे सभी अधिकारीगण, जिन्हे आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध हो अथवा जो समान्यतः डिक्टेशन देते हैं इस योजना में भाग ले सकते हैं।

2. इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष होगी और डाक विभाग में यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक लागू मानी जाएगी।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक-14 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) के तहत अधिकारियों द्वारा हिन्दी में श्रुतलेखन देने के लिए प्रोत्साहन धनराशि को बढ़ा कर 5000/- रुपये कर दिया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। इस नकद पुरस्कार योजना के इनाम की धनराशि डाक विभाग के राजभाषा अनुभाग द्वारा वहन की जाएगी।

4. योजना में भाग लेने वाले अधिकारी द्‌वारा उनके द्‌वारा हिन्दी में दी गई डिक्टेशन के संबंध में रिकॉर्ड रखना होगा। यह रिकॉर्ड रखने का कार्य उनके आशुलिपिक/निजी सहायक भी कर सकते हैं तथा उस रिकार्ड के सत्यापन का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

5. यह रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालय/विभाग द्‌वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा (नमूना संलग्न) के अनुसार रखा जाएगा अथवा संबंधित अधिकारी द्‌वारा यह रिकॉर्ड एक फोल्डर में रखा जा सकता है जिसमे डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तारीख, डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होना अपेक्षित है और दिये गए डिक्टेशन की प्रतियाँ संबंधित फ़ाइल क्रमांक के साथ रखी गई हों ।

6. अपनी प्रविष्टियाँ भेजते समय शब्दों की संख्या के रिकॉर्ड के साथ डिक्टेट किए गए नोट्‌स/पत्रों के 05 नमूने अवश्य भेजे जाए ताकि कार्य की मात्रा के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया जा सके।

7. इस नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5000/- रुपये के दो (2) पुरस्कार रखे गए हैं। एक पुरस्कार उन अधिकारियों के लिए होगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत होना अपेक्षित है और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में होना चाहिए। इस नकद पुरस्कार योजना के ईनाम की धनराशि राजभाषा अनुभाग द्‌वारा वहन की जाएगी।

8. डाक विभाग द्‌वारा पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा ('क' तथा 'ख' क्षेत्र के अधिकारियों के लिए 3000 शब्द और 'ग' क्षेत्र के अधिकारियों के लिए 2000 शब्द) रखी गई है। यहाँ पर कार्यालय से तात्पर्य सामान्यतः उस कार्यालय से है जिनका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो।

9. पुरस्कार निर्धारित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जा सकता है अथवा इस हेतु एक समिति गठित की जा सकती है।

10. मूल्यांकन के लिए कुल 100 अंक रखे गए हैं जिनमे से 70 अंक कार्य की मात्रा तथा 30 अंक कार्य के स्वरूप, विचारों की स्पष्टता तथा भाषा की सरलता के लिए होंगे।

11. जिन अधिकारियों की मातृभाषा तमिल, तेलेगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया अथवा असमिया होगी उन्हे 20% तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जिसका निर्धारण मूल्यांकन समिति करेगी लेकिन ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा क्रम के ऊपर होंगे।

12. अधिकारियों द्‌वारा जीते गए पुरस्कार का, उनके सेवा रिकॉर्ड में, उचित उल्लेख किया जाएगा।

13. इस योजना में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य से जुड़े अधिकारी (हिन्दी अधिकारी आदि) भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, अन्य अधिकारी जो राजभाषा संबंधी कार्य देखते हैं, यदि वे राजभाषा संबंधी कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य हिन्दी में करते हैं तो उस कार्य के लिए वे इस योजना में भाग ले सकते हैं।

14. इस नकद प्रोत्साहन योजना का पुरस्कार समारोह किसी राष्ट्रीय पर्व अथवा विशेष तौर पर आयोजित समारोह में प्रदान किए जा सकते हैं।

15. अगर योजना के किसी प्रावधान की व्याख्या में कोई शंका होती है तो मामला डाक विभाग के उप महानिदेशक (ईएमएम/राजभाषा) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

16. डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे कोई भी कारण बताए अथवा पूर्व सूचना दिये बिना इस योजना में संशोधन कर सकता है अथवा समस्त योजना अथवा उसके किसी भाग को वापिस ले सकता है।

उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग, संचार मंत्रालय के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देते हुए अन्यों के लिए उदाहरण बने और वर्ष 2020-21 के दौरान 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में अपने द्‌वारा हिन्दी में दी गई डिक्टेशन का विवरण रखे तथा उसे दिनांक- 10 अप्रैल, 2021 तक राजभाषा अनुभाग को निर्धारित प्रपत्र [संलग्न] में भेज दें ताकि उसे मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकें।

एम. यु. अब्दाली
उप महानिदेशक (ईएमएम/राजभाषा)

प्रति-

1. माननीय सचिव (डाक) के प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. सभी माननीय डीडीजी/एडीजी के निजी सचिव/ निजी सहायक को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
3. डाक विभाग के सभी अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
4. एडीजी (प्रशासन जीए) को इस अनुरोध के साथ की वे इस कार्यालय ज्ञापन को ई ऑफिस पर अपलोड करा दें।
5. प्रबंधक महोदय, सी ई पी टी, मैसूर को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करा दें।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फ़ाइल

..........

"डाक विभाग के अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना" के अंतर्गत कार्य का विवरण प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट प्रपत्र ।

"अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना" के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के दौरान श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी ............................................, पदनाम................................................, अनुभाग.........................., घोषित निवास स्थान का क्षेत्र ........................... द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या।

| क्रमांक | माह | पहले सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/ लिखवाये गए शब्द | दूसरे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/ लिखवाये गए शब्द | तीसरे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन/ लिखवाये गए शब्द | चौथे सप्ताह में दी गई डिक्टेशन /लिखवाये गए शब्द | फ़ाइल संख्या/विषय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अप्रैल, 2020 | | | | | | |
| 2. | मई, 2020 | | | | | | |
| 3. | जून, 2020 | | | | | | |
| 4. | जुलाई, 2020 | | | | | | |
| 5. | अगस्त, 2020 | | | | | | |
| 6. | सितंबर, 2020 | | | | | | |
| 7. | अक्तूबर, 2020 | | | | | | |
| 8. | नवम्बर, 2020 | | | | | | |
| 9. | दिसम्बर, 2020 | | | | | | |
| 10. | जनवरी, 2021 | | | | | | |
| 11. | फरवरी, 2021 | | | | | | |
| 12. | मार्च, 2021 | | | | | | |
| 13. | योग | | | | | | |
| 14. | कुल योग | | | | | | |

*उपर्युक्त विवरण की सत्यता प्रमाणित की जाती है।*

अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर सहित

नाम.................................................

पदनाम...........................................